झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 51 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती दैवती सिंह, सचिव, वनमाला महिला मण्डल एवं अन्य, अदरखौडा, चाण्डिल, सरायकेला-खरसावाँ

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा0, सरायकेला-खरसावाँ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
04.10.2023		

<u>वाद सं0–51/2023</u>

परिवादी श्रीमती दैवती सिंह, सचिव, वनमाला महिला मण्डल एवं अन्य, शहरबेड़ा, चाण्डिल, सरायकेला–खरसावाँ का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादीगण द्वारा अपने परिवाद पत्र में DGRO, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा पारित किये गये आदेश से असंतोष व्यक्त करते हुए उक्त मामले में आयोग के समक्ष अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन के साथ संलग्न परिवाद पत्र में श्रीमती सरस्वती सिंह सरदार, अध्यक्षा वनमाला महिला मण्डल, शहरबेड़ा के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैः–

1. श्रीमती सरदार द्वारा अवैध रूप से चार बोरी गेहूँ की कालाबाजारी किये जाने का आरोप लगाया गया है।
2. श्रीमती सरदार द्वारा वनमाला महिला मण्ड़ल के नाम में छेड–छाड़ करते हुए लेन–देन हेतु व्यक्तिगत खाता का उपयोग किया जाना।
3. निर्धारित मात्रा/समय पर राशन का वितरण नहीं किया जाना।

प्राप्त अपील आवेदन के साथ DGRO, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा उक्त मामले में पारित आदेश की प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण आयोग के पत्रांक–447 दिनांक–04.07.2023 द्वारा DGRO, सरायकेता–खरसावाँ को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उक्त के क्रम में DGRO, सरायकेता–खरसावाँ के पत्रांक–2073 दिनांक–12.09.2023 द्वारा पारित आदेश की प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई है।

DGRO, सरायकेता–खरसावाँ ने अपने पारित आदेश में उल्लेख किया है कि उक्त मामले में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चाण्डिल की अनुशसा के आलोक में PDS डीलर वनमाला महिला समिति को निलंबित कर दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि उक्त महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती सरदार द्वारा अवैध रूप से बेचे गये 04 बोरा गेहूँ खरीद कर जन वितरण प्रणाली दुकान में जमा कर दिया गया है। DGRO, सरायकेता–खरसावाँ ने अपने पारित आदेश में उल्लेख किया है कि जिन्होंने अवैध रूप से 04 बोरा गेहूँ बेचा है उसके विरूद्ध प्रावधान के आलोक में कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है तद्नुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है।

प्राप्त अपील आवदेन पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–31.10.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–31.10.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx136